

89



निम्न 068-71/06

CF 272

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्रक्र 146 पुनरीक्षण

सिरदारसिंह पुत्र मूषेसिंह  
निवासी ग्राम बारा तहसील एवं जिला शिवपुरी  
आवेदक

विरुद्ध

- १- सुमानसिंह पुत्र हत्केराम गडरिया  
निवासी ग्राम बारा तहसील एवं जिला शिवपुरी
- २- मध्य प्रदेश शासन ----- आवेदकगण

69  
219012h  
श्री 200 को आवेदक  
219012h  
मजबूत 219012h

प्रकरण क्रमांक 26145-46/3-26 में नायब तहसीलदार शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-4-46 के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 40 मू राजस्व संहिता 1948

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित तथ्यों एवं ओका पूरे ली ए... के प्रस्तुत करता है :-

- (१) यह कि अधीनस्थ न्यायालय का विवादित आदेश श्रेय, अनियमित एवं विचाराधिकारहीन होकर निरस्त किये जाने योग्य है।
- (२) यह कि ग्राम बारा तहसील शिवपुरी के सर्वे क्रमांक 206 का कुल क्षेत्रफल 14.00 हेक्टेयर है जो राजस्व अभिलेखों में "कदीम" अंकित है।
- (३) यह कि आवेदक-२ ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मध्यस्थित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किए (विशेषा उपबन्ध) अधिनियम 1958 के अन्तर्गत उपर

219012h  
2-10-46



3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी-68-तीन/1996

जिला-शिवपुरी

सिरदार सिंह विरुद्ध कुमान सिंह व म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार अभिप्राय हस्ताक्षर
17-06-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार, जिला-शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 26/1995-96/अ-19 में पारित आदेश दिनांक 21-05-1996 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर शिवपुरी, जिला-शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 07-08-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p></p> <p> (आर0क00 जैन) सदस्य</p>	